न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
19/2017	02.06.2017	07.11.2025

1. सत्यनारायण पुत्र नाथू जाति बैरवा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल मुकाम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. सतवीर उर्फ सत्यवीर पुत्र नाथू जाति बैरवा, निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल मुकाम भीमनगर, गुराडिया माना, भवानीमण्डी तहसील पचहाड जिला झालावाड
3. बद्रीलाल पुत्र श्रवण लाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम प्रेमपुरा हाल मुकाम सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

अपीलांट

बनाम

1. गौबरीलाल पुत्र लालू, जातियान् बैरवा, निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. जगन्नाथ पुत्र लालू कायम मुकाम
2/1 प्रेमबाई पत्नि जगन्नाथ बैरवा, निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2/2 हजेरी बाई पुत्री जगन्नाथ बैरवा, निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा जिला कोटा

रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी इंतकाल नंबर 345 दिनांक 20.12.2005 सरपंच ग्राम पंचायत अयानी तहसील पीपल्दा की ख०सं० 516 रकबा 1.43 हैक्टर बाबत

निर्णय

अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता नाथू लाल पुत्र गोपाल व श्रवण लाल पुत्र कान्हा के खाते व स्वामित्व की कृषि आराजी खसरा नंबर 516 रकबा 1.43 हेक्टर, ख0नं0 677 रकबा 0.97 हैक्टर, ख0नं0 735 रकबा 0.06, ख0नं0 738 रकबा 0.36 हैक्टर वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में स्थित हैं। जो खातेदार श्रवणलाल, गोपाल पुत्रान कान्हा के खाते में चली आ रही हैं। गोपाल व श्रवण दोनो सगे भाई थे गोपाल की मृत्यु हो चुकी है जिसका एक मात्र वारिस नाथूलाल है। खातेदार नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके विधिक वारिस अपीलांट 1 व 2 सत्य नारायण व महावीर हैं इसी प्रकार खातेदार श्रवण लाल भी फौत हो चुका है जिसका एकमात्र विधिक वारिस बद्रीलाल अपीलांट कम 3 हैं। अपीलांट के गांव के रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने मिलकर एक सादा कागज पर एक फर्जी एवं बनावटी वसीयत तैयार करवाकर खातेदार श्रवणलाल एवं नाथूलाल को ला—औलाद फौत बताते हुए उनके स्थान पर रेस्पो० ने ग्राम पंचायत अयानी एवं तत्कालीन पटवार हल्का पटवारी से मिलकर नामान्तरणकरण संख्या 345 दिनांक 20.12.2005 से खसरा नंबर 516 रकबा 1.43 हैक्टर पर गलत रूप से अपना नाम रिकार्ड दर्ज करवा लिया हैं जिसकी जानकारी होने पर रिकार्ड रूम कोटा से नकल इंतकाल प्राप्त कर रकम की व्यवस्था होने के पश्चात तुरन्त यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सरपंच, ग्राम पंचायत अयानी के आदेश के

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय में निम्न कारणो से पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत अयानी का इंतकाल नंबर 345 दिनांक 20.12.2005 आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम प्रेमपुरा की कृषि आराजी में से खसरा नंबर 516 रकबा 1.43 हैक्टर में खातेदार श्रवण लाल व नाथू लाल की मृत्यु होने पर रेस्पो० नंबर 3 द्वारा उनके विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथा पटवार हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के वारिसान बाहर रहने का हवाला देते हुए एवं रेस्पो० नंबर 1 व 2 से मिलकर मृतक खातेदार श्रवणलाल व नाथूलाल के स्थान पर खसरा नंबर 516 की 1.43 हैक्टर भूमि पर रेस्पो० नंबर 1 व 2 का नाम दर्ज कर नामान्तरणकरण तस्दीक करने में भारी त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय रेस्पो० नंबर 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत बनावटी व सादा कागज पर आलेखित वसीयत के आधार पर अपीलांट के स्थान रेस्पो० नंबर 1 व 2 के नाम इंतकाल तस्दीक करने एवं अपीलाण्ट के पिता श्रवण लाल व नाथूलाल जी से रेस्पो० नंबर 1 व 2 का कोई संबंध नही था उसके बावजूद अपीलांट के पिता श्रवण लाल व नाथूलाल के स्थान पर रेस्पो० नंबर 1 व 2 का नामान्तरणकरण खोलकर तस्दीक करने में भारी त्रुटि की हैं। अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी होते हुए भी अपीलांट विधिक वारिसान को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलांट की उक्त कृषि आराजी पर रेस्पो० नंबर 1 व 2 का नामान्तरणकरण तस्दीक करने में भारी त्रुटि की हैं। अपीलांट के माता पिता ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में रहते हुए अपनी उक्त कृषि आराजी को स्वयं कब्जा काश्त करते चले आ रहे है लेकिन कुछ समय पश्चात अपीलांट के माता पिता काम धन्धे का कार्य करने के लिए ग्राम फलौदी कुवांरी में आ गये तथा वही से कृषि काश्त करने लग गये। श्रवणलाल के बीमार हो जाने से दिनांक 20.10.1994 में ग्राम फलौदी में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात् श्रवणलाल का लडका बद्रीलाल अपनी मां सुन्दर बाई के साथ ग्राम सातलखेडी में आकर रहने लगा जिसके दौरान कुछ समय पश्चात ही उसकी मां सुन्दर बाई की दिनांक 27.11.95 को मृत्यु हो गयी। तब से अपीलांट वही पर निवास करते आ रहे हैं। इस प्रकार अपीलांट के बाहर रहने का रेस्पो० ने नाजायज फायदा उठाते हुए अधीनस्थ न्यायालय से मिल कर अपी० के पिता श्रवण लाल व नाथू लाल के स्थान पर बनावटी व सादा कागज पर आलेखित वसीयत के आधार पर खसरा 516 रकबा 1.43 हैक्टर कृषि आराजी पर अपने नाम इंतकाल खुलवाकर तस्दीक करवा लिया। जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैध है। रेस्पो० द्वारा उक्त कृषि आराजी पर अपने नाम इंतकाल खुलने के आधार पर उक्त कृषि आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं। इस प्रकार अपी० के अधिकारो पर कुठाराघात होने पर अपीलांट को जानकारी होने पर माननीय न्यायालय में यह अपील पेश की जा रही हैं। अपीलांट मृतक श्रवण लाल व नाथू लाल के विधिक वारिसान मौजूद होते हुए भी उनसे अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का पटवारी द्वारा पूछताछ करना उचित नहीं समझा तथा अपीलोट के विधिक वारिस बाहर रहते है, रिपोर्ट का हवाला देते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा० तस्दीक कर दिया हैं जो त्रुटि पूर्ण वं विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य हैं। रेस्पो 1 व 2 ने फर्जी व सादे कागज पर बनावटी वसीयत के आधार पर अपी० के पिता के स्थान पर जो अवैध एवं गलत रूप से नामा० संख्या 345 से जो अपना नाम दर्ज करवा लिया हैं। उसे निरस्त करते पुनः खातेदार मृतक श्रवण लाल व नाथू लाल के स्थान पर विधिक वारिस अपीलांट का नाम रिकार्ड में कानूनन दर्ज किया जावे। अपी० का वाद वर्णित आराजी में हक एवं अधिकार निहित हैं अपीलांट्स हुक्म जैर अपील में एग्रीव्ड

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

होने के कारण माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं अपी० को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान फरमायी जाकर अपील दर्ज रजिस्टर कर गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमायी जावे। उक्त गलत नामा० खुलने की जानकारी अपीलांट को रेस्पो० द्वारा उनकी उक्त कृषि आराजी 1.43 हैक्टर को उक्त नामा० के आधार पर खुर्द बुर्द करने की धमकी दिये जाने पर तुरन्त दिनांक 07.03.2017 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 22.03.2017 को नकल प्राप्त होने पर हुई। इसके बाद रकम का इंतजाम किया गया उसके पश्चात तुरन्त अवधि मध्य यह अपील अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की जा रही हैं। अपीलांट के पिता श्रवण लाल व नाथू लाल द्वारा कोई वसीयत अपने जीवनकाल में आलेखित नहीं की हैं तथाकथित वसीयत पूर्णतया कूटरचित व बनावटी हैं जिसमें रेस्पो० कम 1 व 2 को कोई हक व अधिकार हासिल प्राप्त नही होते हैं। इसलिये उक्त इंतकाल निरस्त होने योग्य हैं। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नामा० सं० 345 दिनांक 20.12.2005 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट के पक्ष में नामा० तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करे। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जाये।

अपील अपीलान्ट की ओर से श्री छोटूलाल जाटव द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया गया। वादी के ओर से दिनांक 17.11.2022 प्रा0 पत्र मृतक सतवीर अपीलांअ नं0 2 का नाम डिलीट किया जाने बाबत पेश किया। दिनांक 05.09.2019 को वादी की ओर से संशोधित टाईटल पेश किया। वादी सं0 2 ला औलाद फौत होने पर वादी कम 2 का नाम डिलीट किया। अपीलान्ट के कायम मुकाम बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश की। अपीलान्ट के दादा गोपाल, श्रवण पुत्रान कान्हा जाति बैरवा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा के खाते व कब्जा काश्त की कृषि आराजी खं.न. 516 रकबा 1.43 है. खं.नं. 677 रकबा 0.97 है. खं.नं. 735 रकबा 0.06 है. खं.नं. 738 रकबा 0.36 है. वाके माल ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. मे स्थित है। अपीलान्ट के दादा कान्हा के दो पुत्र गोपाल व श्रवणलाल थे जिसमे दोनों की मृत्यु हो चुकी है गोपाल का पुत्र नाथूलाल था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है उनके स्थान पर उनके विधिक वारिस अपीलान्ट ने सत्यनारायण व सतवीर है जिसमे सतवीर लाऔलाद फोत हो चुका है इसी प्रकार श्रवणलाल का विधिक वारिस बद्रीलाल (गोद पुत्र) मौजूद है। अपीलान्ट के दादा/पिता बाहर काम धंधा करने के लिए फलौदी क्वारी फैक्टरी में आ गये वं वहां से ही अपीलान्ट जमींन को संभालने लग गये। श्रवणलाल की ग्राम फलौदी मे मृत्य हो गई तो उसका एक मात्र वारिस बद्रीलाल ग्राम सातल खेडी में आकर रहने लगा उसके बाद सातलखेडी मे माता सुन्दर बाई की दिनांक 27.11.1995 में मृत्यु हो गई इस प्रकार अपीलान्ट सातलखेडी में निवास करते चले आ रहे है। अपीलान्ट का बाहर रहने का गलत फायदा उठाते हुए रेस्पोडेंटान ने सरकारी कर्मचारियो ग्राम पंचायत अयानी से मिली भगत करते हुए अपीलान्ट के पिता नाथूलाल व श्रवण के स्थान पर एक बनावटी सादा कागज फर्जी वसीयत तैयार कर अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खं.नं. 516 रकबा 1.43 है. भूमि का नामान्तरण अपने नाम खुलवाकर तस्दीक करवा लिया है जो बिल्कुल गलत व सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। यह कि पटवार हल्का पटवारी द्वारा मुताबिक आदेश तहसील क्रमांक भू./अ./3748/2005 दिनांक 6/12/2005 की पालना में संलग्न वसीयत पत्र के

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अनुसार जांच की गई है जिसमे ग्राम वासियान से पूछताछ करने पर पाया गया कि मृतक नाथूलाल, गोपाल एवं श्रवणलाल के वारिस बाहर रहते है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत अयानी द्वारा नामान्तरण संख्या 345 मे आलेखित दिनांक 6/12/2005 को खं.नं 516 रकबा 1.43 है. पर रेस्पोडेंट के पिता/पति गोबरीलाल व जगनाथ का गलत रूप से नामान्तरण खोलकर इन्काल तस्दीक कर दिया है जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा आलेखित वसीयत बनावटी व सादा कागज पर आलेखित है जिसके आधार पर पंचायत अयानी को नामान्तण खोलने का कोई कानूनन राईट्स नही है। सादा कागज पर कोई आलेखित वसीयत की सत्यता की जांच करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। एवं उचित जांच व आदेश के पश्चातें ही नामान्तरण तस्दीक किया जाना चाहिए था इसलिए खोला गया नामान्तरण अवैध एवं प्रभाव शून्य है। ग्राम पंचायत अयानी द्वारा वसीयत की बिना कोई जांच किये व बिना अपीलान्ट को सुने नामान्तरण खोलकर रेस्पोडेंट का नाम रिकार्ड दर्ज किया है इसलिए खो गया नामान्तरण बिल्कुल निरस्त होने योग्य है। बनावटी व सादा कागज मे आलेखित वसीयत मे लिखा गया है कि मृतक नाथूलाल व श्रवण के कोई आलऔलाद नही है, लॉऔलाद है जब कि नाथूलाल के विधिक वारिस सत्यनारायण सतवीर एवं श्रवणलाल का गोद पुत्र बद्रीलाल है जिसमे दौराने अपील के सतवीर की मृत्यु हो चुकी है। तथा अपीलांट के समस्त दस्तावेज आधारकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपील मेमो के साथ संलग्न है। खं.नं. 516 रकबा 1.43 है. भूमि अपीलान्ट के दादा जी गोपाल व श्रवण पुत्र कान्हा के खाते की कृषि आराजी है जो पुश्तैनी भूमि है जिसकी जमाबंदी नकल जमाबंदी की सम्वत 2060 से 2061 व जम्बाबंदी सम्वत 2058 से 2061 से साबित है जिसकी जमाबंदी संलग्न है। इस प्रकार वसीयत कर्ता को सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है इसलिए दिनांक 28.06. 18989 वसीयत के आधार पर खोला गया नामान्तण कानूनन रूप से बिल्कुल खारिज योग्य है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण के रेस्पोडेंट के पक्ष मे खुलने की जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिनांक 07.03.2017 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके पश्चात् दिनांक 22.03.2017 को उक्त नामान्तरण की नकल प्राप्त होने पर पैसो का इन्तजाम कर माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई, प्रस्तुत की गई अपील में देरी होने का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत अपील मेमो के साथ पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करे।

वादी द्वारा दिनांक 22.03.2017 को ख0नं0 345 की नकल प्राप्त होने पर सूचना मिलना वाद में अंकित करते हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 02.07.2015 से वाद दायर करने तर्क की अवधि को कन्डोन करने का आग्रह किया है। जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने अपने जवाब अपील के विशेष विवरण में तर्क किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। जो अग्रलिखित है। अपीलान्ट से विवादित इन्तकाल की जानकारी दिनाक 22–3–2017 को नकल प्राप्त होने पर होना बताया है, जो कि नितान्त असत्य है। अपीलान्ट क्रम 3 बद्रीलाल व अपीलान्ट क्रम 1 सत्यनारायण द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के विरुद्ध एक वाद पत्र बउनवान बद्रीलाल, सत्यनारायण वादीगण बनाम गोबरीलाल, जगन्नाथ प्रतिवादीगण दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का सन 2013 में प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नम्बर 510/13 है। जो कि 22–6–2017 को वादीगण के वकील ने नो–इन्ट्रक्शन प्लीड करते हुये, खारिज करवा लिया है। उक्त वाद पत्र सन 2013 में प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

किया है। प्रतिवादी क्रम गोबरीलाल पतिवादी क्रम 2 जगन्नाथ है दोनो खातेदारो को लाऔलाद बताकर एवं एक फर्जी सादा कागज पर अपने नाम वसीयत तैयार करवाकर खाता ख्या 75 व 19 में 516 रकबा 1043 हेक्टर आराजी पटवारी हल्का से मिलकर ग्राम पंचाक अयानी से स्वयं के नाम जरिये वसीयत तस्दीक करवा ली है। तथा खसरा नम्बर 677 की रकबा 0.97 हेक्टर पर इन्तकाल में उस आराजी को विवाकि बताकर व अन्य लोगो का कब्जा बताकर इन्तकाल तस्दीक नहीं किया है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल की जानकारी सन 2013 में ही हो चुकी थी। इसके उपरान्त भी उन्होने उक्त जानकारी को छिपाते हुये अपील में दिनांक 22–3–2017 को जानकारी होना बताया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित इन्तकाल नं. 345 दिनांक 20–12–2005 की जानकारी अपीलान्ट को सन 2006 में ही हो चुकी थी, इसके अतिरिक्त मुकदमा नं0 510/13 में भी जानकारी सन 2013 से हो चुकी थी। इसके उपरान्त भी अपील इन्तकाल दिन के 2–4–2017 को पेश की गई है। जो मियाद बाहर होने से निरस्त होते योग्य है। अपीलान्ट ने दिनांक 20.12.2005 से 22.3.2017 के मध्य की अवधि को कंडोम करने के लिये पृथक से दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया है। इस कारण भी अपील निरस्त होने योग्य है। रेस्पौडेन्ट क्रम 3 ने नियमानुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में इन्तकाल खोला है, इस कारण इन्तकाल निरस्त होने योग्य नहीं है।मयाद के बिन्दु वादी एवं प्रतिवादीगण के कथनों, साक्ष्यों पर गौर करने पर पाया कि उक्त नामा0 की जानकारी वादी को प्रकरण सं0 05.10.2013 पेश करने से पूर्व ही हो गई थी और जानकारी प्राप्त होने पर ही वादीगण ने न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा में वाद सं0 05.10.2013 दायर किया था। उक्त वाद में वादीगण ने प्रासगिक वसीयत व नामा0 का जिक्र किया है। उक्त वाद में दिनांक 22.06.2017 को वादी व विद्वान अधिवक्ता ''नो इन्टरेक्शन'' पेश किया। जिस पर वाद खारिज हो गया। उक्त वाद के खारिज होने से पूर्व ही वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 20.04.2017 को पेश की गई। अतः यदि प्रतिवादीगण के जवाब दावा के अनुसार यदि वादी को वाद कारण की जानकारी 2013 में हो गई है। तब भी वादी ने तत्काल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा में वाद दायर कर दिया एवं उक्त वाद के चलते नामा नं0 345 दिनांक 20.12.2005 को निरस्त कराने हेतु यह अपील दायर कर दी। तात्पर्य यह है कि वादी को जब भी वाद कारण का मालूम चलने पर न्याया हेतु सकिय हो गये थे। अतः हस्तगत वाद में अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद मानते हुए विलम्बित अवधि कंडोन की जाती है।

हस्तगत वाद मूलरूप से दिनांक 28.06.2089 को नाथूलाल पुत्र गोपाल व श्रवण पुत्र कान्हा बैरवा नि0 प्रेमपुरा द्वारा स्वयं को लाऔलाद बताकर गोबरीलाल व जगन्नाथ आत्मज लालू बैरवा के कथित वसीयत (अनरजिस्टर्ड) करवा देने एवं सबंधित वसीयत के आधार पर नामा0 नं0 345 दिनांक 20.12.2005 स्वीकार होकर वसीयत ग्रहिताओं के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने पर वसीयत कर्ताओं के जायज वारीसान के हको पर प्रतिकूल प्रभाव से आहत होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन मनन करने पर पाया कि वादी बद्रीलाल के दत्तक पिता श्रवणलाल द्वारा बद्रीलाल को गोद लेकर दिनांक 28.12.1983 को उपपंजीयक इटावा में रजि0 गोदनामा पजीबद्ध करा दिया है एवं श्रवणलाल द्वारा गोदानामा दिनांक 28.12.1983 को तस्दीक कराने के लगभग साढे पांच वर्ष पश्चात रजिस्टर्ड गोदनामा को निरस्त कराये बिना ही स्वयं का ला औलाद बताकर प्रतिवादीगण के पक्ष में अनरजिस्टर्ड वसीयत लिखने को प्रथम दृष्टया सत्य नहीं माना जा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सकता है। क्योंकि श्रवणलाल ने 1983 में ही बद्रीलाल को गोद ले लिया था। तब बद्रीलाल को श्रवणलाल के जायन्दा पुत्र के समान समस्त विधिक अधिकार प्राप्त हो गये थे और समसत विधिक अधिकारों से सम्पन्न पुत्र के होते हुए दत्तक पिता श्रवण अपने आपको कैसे लाऔलाद बता सकता है। दूसरा बिन्दू यह है कि 1983का गोदनामा रजिस्टर्ड है एवं 1989 की वसीयत अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड दस्तावेज में रजिस्टर्ड दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय उपपंजीयक की मौजूदगी में 2 अन्य गवाहों के समक्ष होने से रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रथमतः ज्यादा प्रमाणित माना जाता है।

अतः ग्राम प्रेमपुरा भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अयाना तह0 पीपल्दा का नामा. नं0 345 निर्णय दिनांक 20.12.2005 खारिज किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित किया जाता है कि आदेश की पालना में संबंधित नामा0 की दोनों प्रतियों में निर्णय का नोट अंकित करें एवं संबंधित पक्षकारान को पुनः सुनवाई व अवसर देते हुए गणावगुण के आधार विरासत का निर्णय करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर वादी तहसीलदार पीपल्दा के न्यायालय में 04.12.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा